न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 39 / 2024	2024 / 97	30.10.2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री अशोक सैनी पुत्र स्व0 श्री रामलाल सैनी, निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

—विभागीय प्रतिनिधि

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी,अलवर)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री अशोक सैनी पुत्र स्व० श्री रामलाल सैनी, निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी, अलवर की सैनी पवित्र भोजनालय, रेल्वे स्टेशन, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री अशोक सैनी पुत्र स्व० श्री रामलाल सैनी, निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी, अलवर, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री अशोक सैनी पुत्र स्व० श्री रामलाल सैनी की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री अशोक सैनी पुत्र स्व० श्री रामलाल सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अशोक सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजू सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया जाता है, जो भी जॉच की गई है वह गलत प्रकार से की गई है और गलत प्रकार से की गई जॉच की गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि मिन नी अप्रार्थी उत्तरदाता के द्वारा अपने व अपने भाई के घरेलू गैस कनेक्शन के सिलेण्डरो की डिलिवरी घर पर नहीं होने के कारण उसको अपने उक्त दुकान पर ही मंगवा लिया था, जिसको सांय के समय घर पर ले जाना था, जिन दोनों सिलण्डरों को दुकान पर सांय को घर ले जाने के लिए अलग से रख दिया गया था, जिसका कोई वक्त जॉच या अन्य किसी भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

समय कोई दुरूपयोग नहीं किया गया था। जिसके बारे में मिन अप्रार्थी उत्तरदाता के द्वारा जाँच अधिकारी को भी बता दिया गया था, लेकिन गलत प्रकार से जॉच की गई है। मिन अप्रार्थी के द्वारा किसी भी गैस सिलेण्डर को अवैध संग्रहित नहीं किया गया था व ना ही व्यवसायिक उपयोग में लिया गया था व ना ही किसी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लघंन किया गया था, जबकि उक्त दोनों गैस सिलेण्डर मिन अप्रार्थी उत्तरदाता व उदसके भाईयों के है, जिनको घरेलू उपयोग के लिए मंगवाकर दुकान पर अलग से रखा हुआ था, जिसका उपयोग नहीं किया गया था। जबकि उक्त दुकान पर लकडी के तन्दुर पर रोटिया बनाई जाती है और अन्य मैन कार्य या तो कोयले के चूल्हे पर किया जाता है। वक्त जॉच समस्त तथ्य बता दिये गये थे, लेकिन जॉच अधिकारी के द्वारा सही तथ्यों एवं बताये गये तथ्यों पर ध्यान ना देकर गलत प्रकार से जॉच करते हुए श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। इसलिए उक्त नोटिस के भार से मिन अप्रार्थी उत्तरदाता को मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी उत्तरदाता को उक्त नोटिस के भार से मुक्त किये जाने की कृपा करें। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में अपने भाई का शपथ--पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अप्रार्थी के भाई गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामलाल सैनी जाति माली उम्र करीब 56 साल निवासी 13, इन्द्रा कॉलोनी अलवर ने शपथ पूर्वक बयान किया है कि मैं नौकरी करता हूं। मेरे नाम से गोविन्द गैस एजेन्सी इण्डेन कम्पनी का एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन है, जिसका उपभोक्ता नम्बर 14304 है। मैं नौकरी करता हूँ इसलिए मैंने मेरे छोटे भाई श्री अशोक सैनी को बोला कि आप मेरे घरेलू गैस सिलेण्डर की डिलिवरी अपने होटल पर ले लेना और सांय को घर पर ले आना जिस पर मेरे छोटे भाई अशोक सैनी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की डिलिवरी अपने होटल पर ही मंगा ली थी और सांय को घर पर घरेलू उपयोग के लिए लेकर नोटरी आना था। उक्त गैस सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। मेरे द्वारा मेरे आधार कार्ड, गैस कनेक्शन की पास बुक की फोटो प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है, कि मौके पर श्री अशोक सैनी पुत्र स्व० श्री रामलाल सैनी की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री अशोक सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अशोक सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)